

	न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर श्रीमती त्रिपत कौर बनाम सहारा इण्डिया रिटल स्टोर व अन्य दीवानी इजराय संख्या 12/2024 सीआईएस सं. 71/2024	अनुपालना टिप्पणी
25-03-2026	अधिवक्ता डिक्रीदार श्री जी.एस. सोढी उपस्थित। अधिवक्ता मद्युन उपस्थित। अधिवक्ता डिक्रीदार की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में मद्युन के पोर्टल पर भुगतान हेतु कार्यवाही लम्बित है, अतः इस स्तर पर वह अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं कर प्रकरण को नोटप्रेस करना चाहते हैं एवं आदेशिका पर नोटप्रेस किया। चूंकि स्वयं डिक्रीदार द्वारा पुनः कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाह कर प्रकरण को नोटप्रेस करना चाहा है। अतः डिक्रीदार के पुनः विधिवत कार्यवाही करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये प्रकरण नोटप्रेस में खारिज किया जाता है। इजराय प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (नीरज गुप्ता) अपर जिला न्यायाधीश संख्या-3, अजमेर	